कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति

1. परिचय

1.1 नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य विभिन्न संव्यवहार गतिविधियों पर ध्यान देते हुए प्रमुख स्क्रेधारकों की अपेक्षाओं व आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए सतत रूप से संव्यवहार चलाना है।

1.2 निगम मामले मंत्रालय ने दि. 27.2.2014 की अपनी अधिसूचना के तहत कंपनी (नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 बनायी है जो दि. 1 अप्रैल, 2014 से प्रभाव में आयी है। केंद्र सार्वजनिक उद्यम होने के नाते यह नियमावली बी डी एल पर भी लागू होती है।

1.3 भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल) द्वारा नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में विभिन्न प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

1.4 इस कार्यालय आदेश में उल्लिखित सी एस आर नीति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 135 एवं अनुसूची VII) तथा कंपनी (नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के आधार पर की जाती है।

2. मिशन

बी डी एल अपनी सी एस आर एवं सातत्य पहल के माध्यम से :

2.1 आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध करा कर, हमारे समाज के निचले तबके के लोगों के जीवन-स्तर में गुणवत्ता बढ़ाने में सहयोग देगा।

2.2 गरीबी उन्मूलन में सहयोग देगा।

2.3 पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने तथा सातत्यता के विकास में सहयोग देने वाली किसी भी गतिविधि में सहयोग देगा।

3. उद्देश्य

सी एस आर मिशन के अनुसार, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

3.1 शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए उस पर ध्यान केंद्रित और ग्रामीण स्तर पर शिक्षा संबंधी सुविधाओं की बेहतरी के लिए उचित कदम उठाना।

3.2 ग्रामीण जीवन को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता व पर्यावरणीय सुधार पर ध्यान देना।

3.3 आजीविका के लिए स्वरोजगार व व्यावसायिक पेशों को अपनाने के लिए युवा पीढ़ी को शिक्षित कर प्रोत्साहित करना।

3.4 निचले तबके के सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय विकास के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में प्रतिभाग लेकर उनमें सहयोग देना।

4. विस्तार-क्षेत्र

4.1 कंपनी की सी एस आर पहल के माध्यम से समाज की सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित जाता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए अपनायी जाने वाली परियोजनाएँ या तो कंपनी की संव्यवहार इकाइयों के समीप और / या पिछड़े क्षेत्रों के अनुदान निधि (बी आर जी एफ) के योजना आयोग द्वारा पारिभाषित देश के पिछड़े वर्गों में की जाती हैं।

4.2 कुछ विशेष संदर्भों में कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी परियोजनाएँ की जाती हैं जो उपर्युक्त परिच्छेद में उल्लिखित नहीं हैं लेकिन इन परियोजनाओं से एक बड़े समाज के पर्यावरण व उनके जीवन में विशेष उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता हो।

5. पहल के क्षेत्र

पहल के क्षेत्र (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसरण में)

5.1 बी डी एल द्वारा निम्नलिखित विस्तृत क्षेत्रों में सी एस आर गतिविधियॉं संपन्नकी जाएँ गी-

5.1.1 भूख, गरीबी तथा कुपोषण का उन्मूलन, निदानात्मक स्वास्थ्य संरक्षण सहित स्वास्थ्य संरक्षण को बढ़ावा देना और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में सहयोग देने के साथ स्वच्छता को बढ़ावा देना और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।

5.1.2 बच्चे, स्त्री तथा वयस्क और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष शिक्षा, रोजगार प्रदान करने वाले व्यावसायिक कौशल तथा आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना।

5.1.3 लैंगिक समानता, स्त्री-सशक्तीकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं तथा अनाथों के लिए गृह व छात्रावास स्थापित करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम व डे-केयर केंद्र तथा अन्य सुविधाएँ स्थापित करना तथा सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में असमानताएँ कम करने के उपाय करना।

5.1.4 पर्यावरणीय सातत्यता, जैव-समानता, फ्लोरा व फाउना का संरक्षण, जीव-संरक्षण, अग्रो-फारेस्ट्री, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करना तथा गंगा नदी के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित गंगा बचाओ निधि के लिए सहयोग के साथ-साथ मृदा, वायु व जल की गुणता बनाये रखना।

5.1.5 ऐतिहासिक महत्व रखने वाले भवन व प्रांतों के पुनरुद्धरण सहित राष्ट्रीय विरासत कला और संस्कृति का संरक्षण तथा कला संबंधी कार्य व सार्वजनिक ग्रंथालयों की स्थापना, परंपरागत कला व हस्तकलाओं का प्रचार-प्रसार।

5.1.6 सशस्त्र-सेनाओं के भूतपूर्व अनुभवी, युद्ध विधाओं व उनके आश्रितों के हितार्थ मानदंड।

5.1.7 स्थानीय खेल, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेल, पाराओलिंपिक व ओलिंपिक खेल के प्रचार के लिए प्रशिक्षण।

5.1.8 सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं के कल्याण व राहत के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री राहत निधि या किसी अन्य प्रकार की निधि के लिए सहयोग।

5.1.9 केंद्र सरकार द्वार अनुमोदन प्राप्त् अकादमिक संस्थाओं के प्रौद्योगिकीय इंक्यूबेटर के लिए सहयोग व निधियॉ उपलब्धकराना।

5.1.10 ग्रामीण विकास परियोजनाएँ ।

5.1.11 बस्तियों का विकास।

विवरण - इस मद के अंतर्गत 'बस्ती' से तात्पर्य है -इस समय लागू विधि के अंतर्गत केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार या कोई अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा 'बस्ती' के रूप में घोषित।

6. संगठन की संरचना

6.1 निम्नलिखित दो स्तरीय संगठन की संरचना द्वारा कंपनी में सी एस आर गतिविधियॉ संपन्नकी जाएँ गी-

बोर्ड स्तर की सी एस आर एवं सतत् विकास समिति :

बोर्ड स्तर की सी एस आर एवं सतत विकास समिति में तीन या उससे अधिक निदेशक होंगे जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक होंगे :

स्वतंत्र निदेशक	:	अध्यक्ष
स्वतंत्र निदेशक	:	सदस्य
निदेशक (वित्त)	:	सदस्य
निदेशक (उत्पादन)	:	सदस्य
अधिशासी निदेशक (का. एवं प्रशा.)	:	सदस्य सचिव

बोर्ड से निचले स्तर की सी एस आर एवं सतत विकास समिति :

अधिशासी निदेशक (का. एवं प्रशा.)	:	अध्यक्ष
अधिशासी निदेशक (भा.इ.)	:	सदस्य
महाप्रबंधक (वी अण्ड क.सं.)	:	सदस्य
महाप्रबंधक (वि.इ.)	:	सदस्य
अ.म.प्र. (सिविल एवं इंफ्रा)	:	सदस्य
अ.म.प्र. (सीपी) भा.इ.	:	सदस्य
उ.म.प्र. (का. एवं प्रशा.-सीएसआर)	:	सदस्य
उ.म.प्र. (सिस्टम ऑडिट)	:	सदस्य
उ.म.प्र. (वित्त - एसजी-1)	:	सदस्य
उ.म.प्र. (वित्त) निगम	:	सदस्य
उ.म.प्र. (वित्त) वि.इ.	:	सदस्य
उ.म.प्र. (वित्त) भानूर	:	सदस्य
प्रबंधक (का. एवं प्रशा.) वि.इ.	:	सदस्य
प्रबंधक (का. एवं प्रशा.) भा.इ.	:	सदस्य
प्रबंधक (का. एवं प्रशा.-सीएसआर)	:	सदस्य सचिव

7. बजट

7.1 कंपनी द्वारा अपने तुरंत पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त औसतन निवल लाभ में से हर वित्तीय वर्ष में 2% की राशि हर वर्ष सी एस आर व्यय के लिए बजट के रूप में नियतन किया जाता है। औसतन निवल लाभ की गणना अधिनियम की धारा 198 के अनुसार की जाती है। बजट के इस नियतन के लिए निदेशक मंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। कंपनी अपनी सी एस आर गतिविधियों पर अधिक राशि खर्च करने के लिए प्रयासरत है।

7.2 वित्तीय वर्ष के दौरान सी एस आर गतिविधियों के लिए नियत निधियॉ वित्तीय वर्ष के ही दौरान खर्च की जाऍ गी। यद्यपि खर्च की गई राशि समाप्त नहीं हो जाएगी बल्कि वह राशि जिस उद्देश्य के लिए नियत की गई हो उसी उद्देश्य के लिए अगले वर्ष खर्च की जाएगी। साथ ही, सी एस आर गतिविधियों के लिए निर्दिष्ट निधियों को खर्च करने में असफल होने के कारण निदेशक-मंडल की रिपोर्ट में बताये जाऍ गे।

7.3 सी एस आर वार्षिक बजट, परियोजना स्तर पर कार्यान्वयन गतिविधियों पर भी खर्च की जाएगी, जिससे निर्धारित समयसीमा के अंदर अग्रिम रूप से कार्यान्वयन की रूपरेखा बनाने में सहयोग मिलेगा। सी एसआर व्यय में सी एसआर तथा एस डी समिति के लिए निदेशक मंडल द्वारा सिफारिश की गई सी एस आर कार्यक्रम या परियोजनाओं पर या अंशदान निधि में योगदान शामिल रहेंगे और लेकिन इस व्यय में अधिनियम की उप-धारा VII (ऊपर उपबंध 5.1 में सूचित) में न आने वाले किसी भी प्रकार के मद या या गतिविधि के लिए किया जाने वाला खर्च शामिल नहीं रहेगा।

8. दिशा-निर्देश

कंपनी अधिनियम 2013 (सी एस आर नीति) नियमावली, 2014 के अनुसार सी एस आर गतिविधियों पर दिशा-निर्देश

8.1 सी एस आर गतिविधियॉ सी एस आर नीति के अनुसार परियोजनाओं कार्यक्रम या गतिविधियों (नये या चालू) के रूप में संपन्न की जाएंगी और सामान्य संव्यवहार के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियॉ अतिरिक्तहोंगी।

8.2 अधिनियम की धारा 8 के अधीन निदेशक मंडल का निर्णय होगा कि सी एस आर तथा एस डी समिति द्वारा अनुमोदित सी एस आर गतिविधियॉ स्वयं या पंजीकृत न्यास या पंजीकृत समाज या बी डी एल द्वारा स्थापित या इसके अधीनस्थ या समानुषंगी या सहयोगी कंपनी द्वारा की जाए, या फिर -

8.2.1 बी डी एल द्वारा ऐसा न्यास, समाज या कंपनी स्थापित न किये जाने पर या इसके अधीनस्थ, समानुषंगी या सहयोगी कंपनी न होने की स्थिति में एक ही प्रकार के कार्यक्रम या परियोजनाएं लगातार तीन वर्ष संपन्न करने का बी डी एल का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड हो।

8.2.2 बी डी एल द्वारा इन संस्थाओं के माध्यम से संपन्न की जाने वाली गतिविधिएं व परियोजनाएं विनिर्दिष्ट किया गया हो तथा ऐसी परियोजनाओं

व कार्यक्रमों पर खर्च की जाने वाली निधियों के उपयोगी की पद्धतियों तथा अनुवीक्षण तथा रिपोर्टिंग पद्धति भी विनिर्दिष्ट की गई हो।

8.3 बी डी एल द्वारा सी एस आर परियोजनाओं या कार्यक्रम या गतिविधियों में ऐसी कंपनियों के साथ सहभागिता ले सकती है जिन कंपनियों के संबंधित सी एस आर तथा एस डी समितियॉ नियमों के अनुरूप ऐसी परियोजनाओं पर अलग रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति में हों।

8.4 अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (5) के प्रावधानानुसार, केवल भारत में संपन्न की जाने वाली सी एस आर परियोजनाओं, गतिविधियों या कार्यक्रमों पर सी एस आर निधि खर्च की जाएगी।

8.5 अधिनियम की धारा 135 के अनुसार बी डी एल कार्मिक व उनके परिजनों के हित में की जाने वाली परियोजनाओं या कार्यक्रम या गतिविधियों को सी एस आर कार्यक्रम के रूप में माना नहीं जाएगा।

8.6 बी डी एल द्वारा सी एस आर कार्मिकों की क्षमताओं तथा साथ ही, न्यूनतम तीन वित्तीय वर्ष के स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड युक्त संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों का निर्माण करें लेकिन ध्यातव्य है कि इस प्रकार का व्यय एक वित्तीय वर्ष में बी डी एल सी एस आर व्यय के पॉ च प्रतिशत से अधिक न हो।

8.7 अधिनियम की धारा 182 के अधीन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी राजनीतिक पार्टी को दी जाने वाली राशि सी एस आर गतिविधियों के अंतर्गत नहीं मानी जाएगी।

9. परियोजनाओं का प्रस्ताव

9.1 बजट के न्यायसंगत उपयोग तथा सी एस आर गतिविधियों के पारदर्शी या दर्शनीय प्रभाव के लिए बी डी एल द्वारा कुछ ही परियोजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा जो उनके आकार व प्रभाव की दृष्टि से ऑ की जा सके और ये परियोजनाएँ न केवल तदर्थ परियोजनाएँ होंगी और न ही एकबारगी परियोजनाएँ । इसके लिए बोर्ड से निचले स्तर की सी एस आर एवं एस डी समिति द्वारा परियोजनाओं को केंद्रीकृत रूप से पहचानने की आवश्यकता महसूस की जाएगी।

9.2 अनुच्छेद 7.3 में उल्लिखित आवश्यकता की पूर्ति के लिए बोर्ड से निचले स्तर की सी एस आर तथा एस डी समिति द्वारा उचित परियोजनाओं का चयन किया जाएगा।

9.3 उपर्युक्त 9.2 में उल्लिखित परियोजनाओं का चयन अधिमान्य रूप से कंपनी की सी एस आर गतिविधियों से संभावित हितार्थी स्टेकहोल्डर की आवश्यकताओं को पहचानने के लिए आंतरिक / बाह्य एजेंसियों द्वारा किये जाने वाले बेसलाइन सर्वेक्षण पर निर्भर करता है। जब तक आंतरिक या दूसरे स्रोतों से रिपोर्ट के माध्यम से आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन के लिए पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य की जरूरत न हो, सभी संदर्भों में बेसलाइन सर्वेक्षण आवश्यक नहीं होता है।

9.4 अनुच्छेद 9.2 तथा 9.3 के अनुसार इकाइयाँ अपनी सी एस आर गतिविधियों को पहचान सकती हैं। इस दस्तावेज में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार सी एस आर परियोजनाओं के प्रस्ताव (केंद्रीकृत या इकाई निर्दिष्ट) अनुलग्नक-1 में दिये गये प्रारूप में तैयार किये जाएंगे और विचार के लिए बोर्ड से निचले स्तर की समिति को अग्रेषित किये जाएँ गे। यद्यपि ऐसी परियोजनाएँ उपर्युक्तअनुच्छेद 5.1 में निर्दिष्ट क्षेत्रों के अंतर्गत ही होंगी। बोर्ड से निचले स्तर की सी एस आर तथा एस डी सीमिति द्वारा इस नीति के की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा।

9.5 केंद्रीकृत परियोजना प्रस्ताव नोडल अधिकारी द्वारा तथा इकाई निर्दिष्ट परियोजनाएँ इकाई प्रधान द्वारा आरंभ की जाएँ गी।

10. परियोजनाओं का अनुमोदन

10.1 बोर्ड से निचले स्तर की सी एस आर तथा समिति द्वारा इस दस्तावेज में दिये गये दिशानिर्देशानुसार प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा और बोर्ड स्तर की सी एस आर तथा एस डी समिति को सिफारिश की जाएगी।

10.2 नोडल अधिकारी जो बोर्ड स्तर के सी एस आर तथा एस डी समिति के सदस्य सचिव भी होंगे, उनके द्वारा बोर्ड स्तर के सी एस आर तथा एस डी समिति की सिफारिशों को अनुमोदनार्थ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

10.3 नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदनों की स्थिति की जानकारी कार्यान्वयन कार्यालय / इकाई को परियोजनाएं आरंभ करने तथा इनके कार्यान्वयन के उद्देश्य से दी जाएगी।

10.4 परियोजनाओं की समीक्षा व इनके अनुमोदन के लिए बोर्ड से निचले स्तर की सी एस आर तथा एस डी समिति की न्यूनतम दो बैठकें होंगी।

11. परियोजनाओं का कार्यान्वयन

11.1 सी एस आर परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार, उपक्रम, एन जी ओ, निजी कंपनियों की उचित भागीदारी से संपन्न किया जा सकता है। जहॉ तक संभव हो बी डी एल क मानव-शक्ति अनुवीक्षण तथा अधीक्षण तक ही सीमित रहेगी।

11.2 बाह्य एजेंसियों को लेते समय / उनके साथ भागीदारी के समय विशेष ध्यान दिया जाए कि ऐसी एजेंसियॉ उस निर्धारित क्षेत्र में आवश्यक क्षमतासंपन्न व विशेषज्ञ हों। विशेष एजेंसियों में सरकारी विभाग, अर्द्धसरकारी या गैर-सरकारी संठन (एन जी ओ), स्वायत्त संगठन, व्यावसायिक परामर्शदाता संगठन, पंजीकृत न्यास / मिशन, समुदाय आधारित संठन, स्वयंसहायक समुदाय, गैर-लाभ संगठन, पंचायत राज संस्थाएँ, अकादमिक संस्थाएँ आदि शामिल हो सकती हैं।

11.3 प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर आंतरिक / बाह्य एजेंसी द्वारा प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया जाएगा।

12. परियोजना अनुवीक्षण तथा रिपोर्टिंग

12.1 नोडल अधिकारी द्वारा बोर्ड स्तर की सी एस आर तथा एस डी समिति के समक्ष प्रत्येक तिमाही सी एस आर कार्यक्रमों में हुई प्रगति संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

12.2 प्रत्येक तिमाही में एक बार बोर्ड से निचले स्तर की सी एस आर तथा एस डी सीमिति की बैठक होगी जिसमें सी एस गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही, यह समिति स्टेकधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार कर, बोर्ड स्तर की सी एस आर तथा एस डी समिति के समक्ष प्रस्ताव के रूप में सिफारिश करती है।

12.3 बोर्ड से निचले स्तर की सी एस आर तथा एस डी समिति द्वारा केंद्रीकृत चालू सी एस आर परियोजनाओं को जारी करने तथा नये केंद्रीकृत सी एस आर कार्यक्रमों को पहचान कर अपनाने की भी समीक्षा की जाएगी।

12.4 बोर्ड से निचले स्तर की सी एस आर तथा एस डी समिति द्वारा सी एस आर गतिविधियों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति संबंधी तिमाही रिपोर्ट बोर्ड स्तर की सी एस आर तथा एस डी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

12.5 1 अप्रैल, 2014 या उसके बाद से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित निदेशक मंडल की रिपोर्ट में कंपनी की वार्षिक विवरण में अनुलग्नक के रूप में सी स आर वार्षिक रिपोर्ट भी शामिल होगी।

13. संप्रेषण पद्धति

13.1 कंपनी द्वारा सी एस आर कार्यक्रमों के चयन तथा इनके कार्यान्वयन के संबंध में राय व प्राथमिकताएँ जानने के लिए मुख्यस्टेकधारकों (अर्थात् नजदीक के ग्रामीण तथा उनके प्रतिनिधि, एन जी ओ, सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियॉ, बोर्ड से निचले स्तर की सी एस आर तथा एस डी समिति के सदस्य आदि) से नियमित बातचीत व परामर्श स्थापित किया जाएगा। यद्यपि सी एस आर गतिविधियों के चयन व कार्यान्वयन पर अंतिम निर्णय बी डी एल के निदेशक मंडल का होगा।

13.2 सी एस आर से संबंधित किसी परियोजना के आरंभ, समाप्ति या किसी सुविधा के उद्घाटन के अवसर पर निगम संप्रेषण प्रभाग (जनसंपर्क) द्वारा मीडियाकर्मियों को निमंत्रण देकर तथा प्रिंट मीडिया, टी वी चैनल इत्यादि के लिए प्रेस-विज्ञप्ति जारी कर इस कार्यक्रम को विस्तृत प्रचार दिया जाएगा।

13.3 कंपनी की सी एस आर गतिविधियों की जानकारी निगम संप्रेषण प्रभाग द्वारा कंपनी की वेबसाइट पर दी जाएगी।

13.4 साथ ही, निगम संप्रेषण विभाग द्वारा निगम गृह्पत्रिका में सी एस आर गतिविधियों पर विशेष आलेख प्रकाशित किये जाएँ गे।

13.5 एस ई बी आई दिशानिर्देशानुसार सी एस आर कार्यक्रमों का प्रकटन आवश्यक है। तदनुसार, सी एस आर संबंधी गतिविधियों की जानकारी कंपनी के वार्षिक विवरण में शामिल की जाती है।

13.6 वित्तीय वर्ष से संबंधित कंपनी की निदेशक मंडल की रिपोर्ट में अनुलग्नक-II में निर्दिष्ट विवरण सहित सी एस आर वार्षिक विवरण शामिल होगा।

14. नीति में संशोधन

14.1 सी एस आर नीति के सभी या कुछ प्रावधान समय-समय पर सरकार / संबंधित सांविधिक प्राधिकारी द्वारा इस विषय पर जारी दिशा-निर्देश / विनियम के अनुरूप संपन्न परिशोधन / संशोधन के अनुसार होंगे।

14.2 निदेशक मंडल स्वयं और / या सी एस आर तथा एस डी समिति की सिफारिशों के आधार पर उचित पाये जाने तथा आवश्यकतानुसार इस नीति के किसी भी प्रावधान को को परिवर्द्धित / रद्द करने, जोड़ने या संशोधित करने का अधिकार रखता है।

अनुलग्नक-I

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व

परियोजनाओं के प्रस्ताव

1. कार्यालय / इकाई का नाम
2. प्रस्तावित सी एस आर परियोजना का शीर्षक (स्थान के साथ)
3. परियोजना के उद्देश्य
4. परियोजनाओं का क्षेत्र

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा अनुसूची VII के अनुसार)

i. भूख, गरीबी तथा कुपोषण का निवारण कर उपचारात्मक स्वास्थ्य संरक्षण सहित स्वास्थ्य संरक्षण का प्रचार-प्रसार तथा स्वच्छता के प्रचार-प्रसार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान देना और स्वच्छ पेय-जल उपलब्ध कराना।

ii. विशेष शिक्षा तथा बच्चे, महिला, वयोजन व दिव्यांग लोगों के लिए रोजगोर बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल बढ़ाते हुए शिक्षा का प्रसार तथा आजीविका देने वाले परियोजनाएँ ।

iii. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तीकरण, महिला व अनाथ के लिए पुनरावास गृह बनाना, उम्रदराज लोगों के लिए वृद्धाश्रम, 'डे-केर' तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों में असमानताएं कम करना।

iv. पर्यावरणीय सातत्यता, पर्यावरणीय समतुल्यता सुनिश्चित करना, फ्लोरा व फाउना का संरक्षण, वन्य-प्राणी-कल्याण, अग्रो-फारेस्ट्री, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, गंगा नदी के पुनरुज्जीवन के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'क्लीन गंगा निधि' के लिए अंशदान सहित जमीन, वायु व जल में समानता का अनुरक्षण।

v. सार्वजनिक ग्रंथालयों की स्थापना कर ऐतिहासिक प्रमुखकता रखने वाले भवन व जगह व कला-कार्यों के पुनरुज्जीवन सहित प्राकृतिक संपदा, कला व संस्कृतियों का संरक्षण, परंपरागत कला व हस्तकलाओं का प्रचार-प्रसार व इनका विकास।

vi. भूतपूर्व सशस्त्र सेनानी, युद्ध विधवाएँ व इनके आश्रितों के हितार्थ उपाय।

vii. स्थानीय खेल-कूद, पाराओलिंपिक तथा ओलिंपिक खेलकूद के लिए प्रशिक्षण।

viii. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिला कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वार स्थापित प्रधानमंत्री राहत निधि में योगदान।

ix. केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त अकादमिक संस्थाओं में तकनीकी इंक्यूबेटर उपलब्ध कराने योगदान व निधि प्रदान करना।

x. ग्रामीण विकास परियोजनाएँ ।

xi. गंदी बस्तियों का विकास :

विवरण - इस उद्देश्य के लिए 'गंदी बस्ती' से तात्पर्य है किसी नियम या समय के अनुसार केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा घोषित कोई भी प्रांत।

5. परियोजना का संक्षिप्त विवरण

6. स्पष्टीकरण

7. कार्यान्वयन पद्धति

8. परियोजना की कालावधि सहित कार्यान्वयन सारणी
(उत्कृष्ट उपलब्धियों के साथ परियोजना पूर्ण करने के लिए अनुमानित समय)

9. स्टेकधारकों के लिए लाभ
   i. मूर्त
   ii. अमूर्त

10. संगठन के लिए लाभ
   i. मूर्त
   ii. अमूर्त

11. वित्तीय आवश्यकताएँ (रुपये लाखों में)

12. वर्षवार निधियों की आवश्यकता

अनुलग्नक-II

निदेशक मंडल की रिपोर्ट में में शामिल करने संबंधी
सी एस आर गतिविधियों पर वार्षिक विवरण के लिए फार्मेट

1. संपन्न की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं व गतिविधियों के परिचय सहित कंपनी की सी एस आर नीति का संक्षिप्त परिचय तथा सी एस आर नीति तथा परियोजनाओं या कार्यक्रमों से संबंधित वेबलिंक का संदर्भ।
2. सी एस आर समिति का गठन
3. पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी की औसतन निवल लाभ
4. निर्धारित सी एस आर वयय (उपर्युक्त मद संख्या 3 की राशि का 2 प्रतिशत)
5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई सी एस आर निधि से संबंधित विवरण :

   (ए) राशि जो वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जानी है।

   (बी) खर्च न की गई राशि, यदि हो तो

   (सी) वित्तीय वर्ष के दौरान राशि किस पद्धति में खर्च की गई हो, इसका विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र.स.	पहचान की गई सी एस आर परियोजना या कार्यक्रम	परियोजना का क्षेत्र	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय या अन्य (2) परियोजनाएं या कार्यक्रम संपन्न हो रहे राज्य व जिले का उल्लेख करें।	राशि आउटले (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार	परियोजना या कार्यक्रम खर्च की गई राशि उप-शीर्ष (1) परियोजना या कार्यक्रम पर सीधे खर्च (2) ओवरहेड्स	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि
1							
2							
3							
	कुल						

* कार्यान्वयन एजेंसी का विवरण प्रस्तुत किया जाए।

6. यदि कंपनी अपने पिछले तीन वित्तीय वर्ष के औसतन निवल लाभ की दो प्रतिशत की पूरी राशि या उसका कुछ अंश खर्च करने में असफल होती हो तो कंपनी को अपने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में इसके कारण बताना होगा।

7. सी एस आर समिति के उत्तरदायित्व संबंधी विवरणानुसार सी एस आर नीति का कार्यान्वयन व इसका अनुवीक्षण कंपनी की सी एस आर नीति व उद्देश्य के अनुरूप है।

हस्ता./- (मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक)	हस्ता./- (अध्यक्ष, सी एस आर समिति)	हस्ता./- (अधिनियम की धारा 380 के उपबंध (1) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति) (जहॉ भी लागू हो)

बी डी एल की सतत् विकास नीति

1. 'सतत् विकास को भावी पीढ़ी की स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति संबंधी क्षमताओं पर ध्यान न देते हुए वर्तमान आवश्यक्कताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक्क विकास के रूप में पारिभाषित किया जाता है। इस संदर्भ में, बी डी एल द्वारा निम्नलिखित नीति विवरण अपनाया गया है जिसमें सतत् विकास संबंधी बी डी एल के नियम शामिल हैं।
2. कंपनी अपनी विस्तृत संव्यवहार परिचालन तथा गतिविधियों के माध्यम से सतत् विकास संबंधी आर्थिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्व उद्देश्यों की पूर्ति के प्रति प्रतिबद्ध है।
3. पर्यावरणीय दृष्टि से एक जिम्मेदार कंपनी होने के नाते बी डी एल, प्राकृतिक तथा मानव-निर्मित संसाधनों के उपयोग में न्यूनतम कमी लाने के लिए लिये जाने वाले सभी आवश्यक कदमों के प्रति प्रतिबद्ध है।
4. कंपनी, सतत् विकास के लिए अपने सभी परिचालन / प्रक्रियाओं में 'कम करो, पुन:प्रयोग तथा पुन:चक्रण' पद्धतियॉं अपनाकर लक्ष्यप्राप्ति के लिए पूर्णत: सजग है। प्राकृतिक संसाधनों के अवक्षय को कम करने कंपनी द्वारा नवीकरण ऊर्जा के लिए हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं।
5. कंपनी द्वारा पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन तथा सतत् विकास संबंधी सभी विधि / विनियम संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाएगा। अपने पर्यावरणीय प्रबंधन तथा सतत् विकास संबंधी कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए कंपनी द्वारा नियमित अनुवीक्षण कार्यक्रम संपन्न किये जाऍं गे।
6. कंपनी द्वारा हानिकारक प्रक्रियाओं को पहचाना जाएगा और इनके संभावित जोखिमों का मूल्यांकन कर उसके लिए आवश्यक नियंत्रण उपाय निर्धारित कर पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम किया जाएगा। प्रभाव कम करने की इस प्रक्रिया में विलोपन/बहिष्करण, प्रतिस्थापन, इंजीनियरिंग नियंत्रण पद्धतियों का पालन किया जाएगा।
7. किसी भी प्रकार की नयी प्रक्रिया, परिचालन या उत्पाद या सेवा आरंभ करते समय या चुनते समय पर्याहितैषी प्रक्रिया / परिचालनों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। पर्यावरण पर इनका प्रभाव कम करने के उद्देश्य से प्रभावी प्रक्रियाऍं अपनाई जाऍं गी।
8. कार्बन उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से किसी नई प्रणाली को आरंभ करते / चुनते समय ऊर्जा प्रभाविता को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। कंपनी, कार्बन फुटप्रिंटिंग न्यूनतम रखने के

उद्देश्य से ग्रीन एनर्जी में प्रवेश कर चुकी है और कंपनी द्वारा हरियाली व नवीकरण उर्जी पर और अधिक निवेश किया जाएगा।

9. पर्यावरण पर प्रभाव कम करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित किये जाएँ गे। यह प्रक्रिया जारी रहेगी। क्लीनर टेक्नोलॉजी का परिचय, हानिकारक व्यर्थों का निपटान, विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन, संसाधन संरक्षण आदि कंपनी के पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रामों के प्रमुख क्षेत्र होंगे।

10. कंपनी के सतत् विकास कार्यक्रम व परियोजनाओं के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान कर आबंटन किया जाएगा। परियोजना/कार्यक्रमवार बजट का आबंटन, परियोजना की रूपरेखा तथा अनुवर्ती मूल्यांकन पद्धति पर निर्भर करेगा।

11. कंपनी उत्पादों के उपयोग के दौरान पर्यावरण पर इसका प्रभाव करने के उद्देश्य से अपने ग्राहकों के लिए कंपनी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएँ गे। कंपनी द्वारा उत्पाद के अभिकल्पन से लेकर निपटान तक अपने संव्यवहार भागीदारों को पर्यावरण हितैषी पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।